

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010.

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा- 2016

आवश्यक सूचना

संख्या:-3465

राँची, दिनांक-17.05.2019.

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 21/2016 प्रकाशित करते हुए दिनांक 06.02.2017 से 25.04.2017 तक योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे जिनमें वैध पाये गये अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 29.10.2017, 12.11.2017, 19.11.2017, 25.11.2018, 26.11.2017 तथा 02.12.2017 को ली गई। तत्पश्चात मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक को किया गया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 15.02.2019 को पुनः आमंत्रित किया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उपर्युक्त पदों में पात्रता/शैक्षणिक अहर्ता/आरक्षण इत्यादि की शर्तें संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्तें उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत शर्तें विवरणिका की कंडिका 8 में अंकित करते हुए विवरणिका की कंडिका 12 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।

(i) ऑनलाईन आवेदन में क्षेत्रीय आरक्षण तथा अनूसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना अनिवार्यतः आवश्यक होगा। दिनांक 02.06.2016 के पश्चात निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विहित प्रपत्र परिशिष्ट- III में है।

(ii) अनूसूचित जिलों तथा अन्य जिलों में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना आवश्यक होगा।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।"

3. विज्ञापन की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है।

4. पात्रता/आरक्षण/आयु सीमा इत्यादि की शर्तें निम्नवत् निर्धारित है :-

क) आरक्षण:- यथा विवरणिका की कंडिका- 8 में निहित

- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।
- (III) गैर अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत महिला आरक्षण तथा निःशक्तता आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनारक्षित वर्ग की महिला तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (IV) अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (V) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:-
 - (i) जाति प्रमाण पत्र- जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के लिए परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
 - (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए विहित-प्रपत्र (परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
 - (iii) स्थानीय निवास प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं यह प्रमाण पत्र 02.06.2016 के पश्चात निर्गत होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।

ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता यथा विज्ञापन की कंडिका 4 में अंकित है जो निम्नवत् है :-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	4
1	निम्नांकित विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक- हिन्दी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगला,	संबंधित विषय (जिसमें नियुक्ति होनी है) में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।

	भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, नगपुरिया, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुण्डारी, कुडुख, खड़िया, हो, कृषि, संधाली, खोरठा, एवं समाज विज्ञान	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय (जिसमें नियुक्ति होनी है) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।
2.	संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी	संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी विषयों के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री। अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/समिति द्वारा संस्कृत शिक्षक के लिए आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण), अरबी, उर्दू, फारसी शिक्षकों के लिए संबंधित विषय (जिसमें नियुक्ति होनी है) में फाजिल की डिग्री अथवा संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं अरबी भाषा (जिसमें नियुक्ति होनी है) में स्नातकोत्तर की डिग्री तथा उक्त किसी एक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0 एड0 की डिग्री।
3	गणित/भौतिकी	गणित एवं भौतिकी विषयों के साथ स्नातक डिग्री तथा दोनों में से किसी एक विषय में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए गणित एवं भौतिकी विषयों के साथ स्नातक डिग्री तथा दोनों में से किसी एक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।
क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	4
4	जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र	प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक किन्तु तीनो विषयों में से किसी एक विषय में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक

		किन्तु तीनो विषयों में से किसी एक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।
5	इतिहास/नागरिक शास्त्र	इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों के साथ स्नातक किन्तु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों के साथ स्नातक किन्तु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।
6	संगीत	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष।
7	शारीरिक प्रशिक्षण	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कला विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री।

- (i) स्नातक डिग्री राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है।
- (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद—(NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।
- (iii) वैसे आवेदक जिन्होंने ग्रेड पद्धति/क्रेडिट पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किया है वे निर्धारित प्रतिशत अंक के समतुल्य ग्रेड/क्रेडिट आदि प्राप्त रहने पर जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत हो आवेदन देने के योग्य होंगे। समतुल्यता के संबंध में अंतिम निर्णय आयोग का होगा।
- (iv) **शैक्षणिक योग्यता (स्नातक उत्तीर्ण) के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित स्नातक योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा वांछित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।**
- (v) वैसे अभ्यर्थी, जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसके अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा बी0एड0 के लिए समकक्ष डिग्री हेतु प्रशिक्षण पुरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं भी आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल इस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के पूर्व यथा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ग) आयु सीमा यथा विज्ञापन की विवरणिका की कंडिका 6 में अंकित:—

न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2016 के संदर्भ में की जायेगी :—

(क) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम आयु सीमा :—

क्रम संख्या	वर्ग	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए
1.	अनारक्षित/सामान्य—	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला { अनारक्षित/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) }	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

सभी वर्ग के (प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक सहित) निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो, को आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा पर्षद से निर्गत होना चाहिए। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-V) में मान्य होगा।

घ) सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए वांछित अनुभव विवरणिका की कंडिका-5 (iv) में अंकित है जो निम्नवत् है:—

(iv) झारखण्ड राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें अन्य आवश्यक अर्हता प्राप्त हैं, वे कर्णांकित पदों (25 प्रतिशत रिक्ति) पर आवेदन देने के पात्र होंगे।

दिनांक 04.09.2018 को प्रकाशित 'आवश्यक सूचना' के माध्यम से संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (मुख्य) के आलोक में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम हेतु के क्रम में झारखण्ड सरकार के प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रकाशित किया गया है

5. उपर्युक्त शर्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। तत्सम्बन्धी आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों का अभिकथन तथा आयोग का निर्णय निम्न विवरणी में अंकित है:—

क्र. स.	नाम/अनुक्रमांक/ जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1. वाणिज्य (सीधी भर्ती)				
1	VEENA MAHTO, 21119203988, 18-DEC-1984	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 29.01.2019 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पुनः दिनांक-29.01.2019 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	AMIT DHANWAR, 16140175617, 05-DEC-1985	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

3	SNEHALATA PRADHAN, 24119216659, 02-JAN-1984	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभुम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05.05.2017 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पुनः दिनांक-05.05.2017 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
4	KUMARI DURGA, 11121118559, 21-JAN-1989	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभुम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 11.06.2018 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पुनः दिनांक-11.06.2018 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
5	PUSHPA BARJO, 26116224270, 26-DEC-1989	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2. भूगोल (सीधी भर्ती)				
1	SURENDRA KUMAR BOBONGA, 20113197913, 04-DEC-1981	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को		दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के

2	DASMATI BANRA, 17115179230, 10-JUL-1986	प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	SUSHILA BARLA, 16141176151, 11-SEP-1993	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 03.05.2017 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 26.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
4	MANJUSREE BANRA, 25116220820, 10-OCT-1980	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 03.05.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 14.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण में दिनांक-17.04.2017 एवं दिनांक-29.08.2016 को अचंलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
5	MANISHA BANRA, 16141175860, 21-FEB-1986	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 15.03.2017 को अचंलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 14.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण में दिनांक-05.02.2019 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

6	<p align="center">MANJARI MANISH KORA, 19130192837, 02-NOV-1989</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 20.04.2017 को अचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 14.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण में दिनांक—21.05.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
7	<p align="center">RAJU DHANWAR, 11114113920, 02-SEP-1981</p>	<p>दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।</p>		<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
8	<p align="center">KALPANA SURIN, 30113273779, 12-FEB-1983</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26.05.2017 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 30.03.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भूल स्वीकार किया गया।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
9	<p align="center">KUMARI LAXMI, 16125168868, 28-AUG-1983</p>	<p>दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।</p>		<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

भुगोल (कार्यरत शिक्षक)				
1	MRIDULA STAINSELA BHUINYAN, 24113214340, 15-NOV-1975	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभुम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17.07.2017 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 30.03.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3. हो (सीधी भर्ती)				
1	PYARI CHATOMBA, 32113282047, 08-FEB-1990	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में बी. एड. के Appearing Candidate होने का दावा किया है। दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित बी. एड. के प्रमाण पत्र में मुख्य परीक्षा जून 2018 में होने का उल्लेख करते हुए परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि 08.08.2018 अंकित है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख)(v) की शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	TULSI MUNDRI, 28129241607, 09-OCT-1968	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभुम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 11.02.2017 को पूर्वी सिंहभुम जिला से निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक-13.02.2019 को पश्चिमी सिंहभुम जिला से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

4. शारीरिक शिक्षा (सीधी भर्ती)

1	SONARAM CHAMPIA, 16114164462, 15-JUN-1979	अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया है परंतु दिनांक-04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा विज्ञापन की शर्तों के अनुसार बी०ए०, बी०एस०सी० अथवा बी०कॉम० का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	JAGDEEP MAHARANA, 15111156617, 25-MAY-1989	अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया है परंतु दिनांक-04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा विज्ञापन की शर्तों के अनुसार बी०ए०, बी०एस०सी० अथवा बी०कॉम० का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 29.03.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	SANGEETA MAHTO, 26116224332, 11-FEB-1983	अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया है परंतु दिनांक-04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा विज्ञापन की शर्तों के अनुसार बी०ए०, बी०एस०सी० अथवा बी०कॉम० का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
4	JAMES MUNDA, 20114198157, 07-APR-1988	अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया है परंतु दिनांक-04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा विज्ञापन की शर्तों के अनुसार बी०ए०, बी०एस०सी० अथवा बी०कॉम० का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

5. गृह विज्ञान (सीधी भर्ती)				
1	BHAKTIPRIYA BAIDYA, 25116221372, 11-JUL-1987	आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में बी. एड. होने का दावा किया है परन्तु प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा B.Ed. (Visual Impairment) का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 26.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख)(v) की शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
6. जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र (सीधी भर्ती)				
1	SAVITA BIRUA, 14139147895, 23-AUG-1985	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	TRIPTI KUMARI MAHTO, 14119138849, 21-AUG-1990			
3	FULESHWARY SOY, 14132145456, 09-JAN-1986			
4	KALPANA KUMARI, 14125141847, 10-MAY-1989	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में बी. एड. के Appearing Candidate होने का दावा किया है। दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा समर्पित बी. एड. के प्रमाण पत्र में मुख्य परीक्षा जून 2018 में होने का उल्लेख करते हुए परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि 08.08.2018 अंकित है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-14.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख)(v) की शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

5	HEMLATA MAHATO, 14119138948, 02-DEC-1985	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
6	PRIYANKA K PURTY, 14116137849, 26-SEP-1991	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
7	PRATIMA MAJHI, 14118138658, 25-DEC-1992	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 31.01.2017 को अचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 14.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक-17.06.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
8	LAXMI BANDIA, 14116137996, 30-JAN-1985	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 22.12.2016 को अचलाधिकारी के स्तर से पति के आधार पर निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 29.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।		आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
9	VIJEYATA BAGE, 14144150350, 19-SEP-1988	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 22.12.2016 को अचलाधिकारी के स्तर से पति के आधार पर निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 29.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।		आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

7. गणित एवं भौतिकी (सीधी भर्ती)

1	GYAN PRAKASH MAHTO, 26120225802, 05-FEB-1988	<p>अभ्यर्थी ने गणित एवं भौतिकी विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया गया है परन्तु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा समर्पित स्नातक के प्रमाण पत्र में गणित एवं भौतिकी विषय स्पष्ट रूप में सम्मिलित नहीं है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 14.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बी०ई० का अंक पत्र समर्पित किया गया।</p>	<p>समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि स्नातक स्तर पर गणित एवं भौतिकी विषय का एकल रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। अभियांत्रिकी गणित एवं अभियांत्रिकी भौतिकी विषय का अध्ययन स्नातक में किया गया है। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
2	SUNIL ALDA, 19117187415, 25-FEB-1984	<p>दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।</p>		<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

8. बंगला (सीधी भर्ती)

1	JEENA SARANGI, 15111156352, 14-MAR-1984	<p>दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।</p>		<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
---	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. अर्थशास्त्र (सीधी भर्ती)

1	MANJIL KUMAR BANRA, 32115282955, 15-JUN-1987	आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में बी. एड. होने का दावा किया है परन्तु प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा B.Ed. Special का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 26.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख)(v) की शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	ASHISHAN GURIA, 26124227349, 14-JAN-1989	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	BINITA DEOGAM, 22116207813, 05-NOV-1988			
4	SMITA DHANWAR, 29116271847, 08-JAN-1987	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 25.03.2017 को अचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 29.03.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण में दिनांक-14.06.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
5	OM PRAKASH BAHANDA, 16133172866, 05-OCT-1987	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 06.05.2017 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 14.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक-14.07.2012 को उपायुक्त के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

10. अंग्रेजी (सीधी भर्ती)

1	<p>JACKSON BOIPOI, 32117283744, 04-JAN-1978</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभुम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 06.05.2017 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 30.03.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक-01.06.2013 को उपायुक्त के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
2	<p>RICHA PRIYAMVADA, 20118199981, 27-MAR-1985</p>	<p>दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।</p>		<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
3	<p>AVINASH MAHTO, 11122119220 07-SEP-1986</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा समर्पित स्नातक प्रमाण पत्र में अंग्रेजी विषय के स्थान पर Functional English का उल्लेख है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-13.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

4	LAXMI SUNDI, 16113164365, 26-JAN-1977	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
5	SNEHALATA SINGH, 29112270534, 10-DEC-1981	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 02.05.2017 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 30.03.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पुनः दिनांक-02.05.2017 को निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
6	KAMLA SOY, 11119116823, 20-OCT-1992	अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 15.03.2017 को अचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण में दिनांक-05.05.2017 एवं दिनांक-04.02.2019 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
7	ANITA SUNDI, 13118134002, 18-JUL-1982	दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

8	<p align="center">SANTOSHI BODRA, 15127163022, 10-JUL-1979</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 24.03.2017 को अचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 14.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
11. हिन्दी (सीधी भर्ती)				
1	<p align="center">HIRALAL KUMHAR, 11129123018, 10-NOV-1977</p>			
2	<p align="center">PREETI KUMARI, 32111281445, 28-APR-1988</p>	<p>दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।</p>		<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
3	<p align="center">JASMINE BIRUA, 32113282186, 21-JAN-1978</p>			
4	<p align="center">INDU JAMUDA, 19111184269, 10-JAN-1974</p>			
5	<p align="center">PARWATI DORAIBURU, 28123239200, 19-JUL-1980</p>			

6	<p>SUNIL KUMAR PRAJAPATI, 31113277864, 12-JAN-1978</p>	<p>अभ्यर्थी ने हिन्दी विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया गया है परन्तु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा समर्पित स्नातक के प्रमाण पत्र में हिन्दी अनिवार्य भाषा के रूप में सम्मिलित है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 26.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।</p>	<p>समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अध्ययन किया गया है। हिन्दी विषय उनके प्रतिष्ठा अथवा अन्य वैकल्पिक (Subsidiary) विषयों में सम्मिलित नहीं है। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
7	<p>PAWAN KANDAYBURU, 20119200408, 03-FEB-1986</p>	<p>दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2019को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।</p>		<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
8	<p>KUMAR SWATI, 24120217173, 21-DEC-1987</p>	<p>अभ्यर्थी ने हिन्दी विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया गया है परन्तु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा समर्पित स्नातक के प्रमाण पत्र से ज्ञात होता है कि हिन्दी के स्थान पर हिन्दी विषय के एक अंश का अध्ययन किया गया है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 26.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।</p>	<p>समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि हिन्दी विषय का एक अंश अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अध्ययन किया गया है। हिन्दी विषय उनके प्रतिष्ठा अथवा अन्य वैकल्पिक (Subsidiary) विषयों में सम्मिलित नहीं है। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

9	<p>KAVITA KUMARI, 31115279663, 19-JUN-1973</p>	<p>अभ्यर्थी ने हिन्दी विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया गया है परन्तु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा समर्पित स्नातक के प्रमाण पत्र में हिन्दी अनिवार्य भाषा के रूप में सम्मिलित है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 26.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।</p>	<p>समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अध्ययन किया गया है। हिन्दी विषय उनके प्रतिष्ठा अथवा अन्य वैकल्पिक (Subsidary) विषयों में सम्मिलित नहीं है। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
10	<p>BIMMI BARLINA PAREYA, 11123119902, 08-JUL-1978</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 30.03.2017 को अचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निर्धारित समयावधि के अन्दर वैध जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
11	<p>ANITA BOIPAI, 26124227351, 04-JAN-1977</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 12.03.2018 को निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 26.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक-13.02.2019 एवं दिनांक-08.05.2008 को निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(IV) एवं 4 (क)(IV)(iii) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जिले की रिक्तियों के विरुद्ध किये गये अपने आवेदन के समर्थन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

12	<p>SINU RAM, 15111156687, 16-OCT-1986</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 03.03.2017 को अचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक—31.01.2019 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
13	<p>JAGDISH JAMUDA, 15120160226, 03-JAN-1972</p>	<p>अभ्यर्थी ने हिन्दी विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया गया है परन्तु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा समर्पित स्नातक के प्रमाण पत्र में हिन्दी अनिवार्य भाषा के रूप में सम्मिलित है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्नातक का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।</p>	<p>समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अध्ययन किया गया है। हिन्दी विषय उनके प्रतिष्ठा अथवा अन्य वैकल्पिक (Subsidiary) विषयों में सम्मिलित नहीं है। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
14	<p>RAIMUNI BOIPAI, 18117181644, 09-NOV-1975</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 27.04.2017 एवं दिनांक 02.02.2019 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 30.03.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>

15	<p align="center">SWATI KACHHAP, 20112197733, 28-SEP-1983</p>	<p>अभ्यर्थी ने हिन्दी विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया गया है परन्तु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा समर्पित स्नातक के प्रमाण पत्र में हिन्दी अनिवार्य भाषा के रूप में सम्मिलित है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्नातक का अंक पत्र एवं परीक्षा के विज्ञापन का अंश समर्पित किया गया।</p>	<p>समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर अध्ययन किया गया है। हिन्दी विषय उनके प्रतिष्ठा अथवा अन्य वैकल्पिक (Subsidary) विषयों में सम्मिलित नहीं है। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
16	<p align="center">SATYENDER HESSA, 19133194383, 15-NOV-1985</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति कोटि में आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 18.04.2017 को अचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक-16.05.2018 एवं दिनांक-01.08.2013 (केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए वैध) को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक।